





अज अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),सिवाना

<p>वादीगण</p> <p>1. अदराराम पुत्र पदमाराम जाति भील निवासी मूठली तहसील सिवाना</p>	<p>बनाम</p> <p>प्रतिवादीगण</p> <p>पाटी संख्या 01</p> <p>1. मालाराम पुत्र पदमाराम</p> <p>2. मृतक दलाराम पुत्र पदमाराम के कायम मुकाम 2/1 गणपत पुत्र दलाराम वगैरा (2/5)</p> <p>पाटी संख्या 02</p> <p>3. अमराराम पुत्र पावाराम</p> <p>4. ताराराम पुत्र पावाराम वगैरा (14) जाति भील निवासीयान मूठली तहसील सिवाना</p> <p>5. भूमिधारक तहसीलदार सिवाना</p>
--	--

विरम मुकदमा धारा 88, 188 RTA

मु0नं0 12/2021

तारीख हुगम	हुगम या कार्यवाही मय इनिशियलजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुगम की तामील में जारी हुए
10/03/2021	<p>वादी अदराराम की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री कैलाश पुरी गोरवाभी द्वारा प्रतिवादीगण मालाराम वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA का पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.04.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (कुसुमलता चौहान) सहायक कलक्टर, सिवाना </p>	
25/03/21	<p>वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रारब्धी आज तथ्य सि गयी वादी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि पदमाराम खसरा संख्या 417 के जखत अनुलेख चला गया है लेकिन उक्त खसरा में वादी के अनुलेख प्राले गया है ऐसी स्थिति में उक्त वाद पर विद्वे पर नया वाद प्रस्तुत करना आवश्यक है गणपत पुत्र दलाराम वगैरा के अनुलेख चलाया है जिसका के पत्रावली के तहत सुरक्षित रखे हुए दवा जायिजे प्रार्थना पत्र विद्वे परमथा जाये।</p> <p>वादी वकील के निवेदन पर उक्त वाद दूनी स्तर पर जायिजे विद्वे ल खारिज किया जावा है पत्रावली के सल सुमार है पर दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना </p>	<p style="text-align: center;">  4 अदराराम Identification W. </p> <p style="text-align: center;">  </p>